कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

–:: संशोधित निर्देश ::–

क्रमांक/732/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 07.04.2021

कार्यालयीन निर्देश क्रमांक/726/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 बलौदाबाजार दिनांक 05.04.2021 के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए **चैत्र नवरात्र पर्व** के संबंध में निर्देश जारी किया गया था। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

01. मंदिरों में दर्शन/ज्योति दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए मंदिर के बाहर 04 फीट की दूरी पर गोला बनाया जायेगा तथा मंदिर के बाहर सेनेटाईजर रखा जायेगा। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
02. मंदिरों के बाहर दुकान लगाने एवं मेला का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।
03. हवन कार्यक्रम/जंवारा विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा तथा किसी भी दशा में भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। यह मात्र रस्म अदायगी के लिए होगा। जंवारा विसर्जन के समय अथावा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
04. नवरात्र के दौरान किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
05. मंदिरों में दर्शन/ज्योति दर्शन/जंवारा दर्शन अथवा विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
06. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एस.ओ.पी. का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

7/4/21

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
Additional District Magistrate
बलौदाबाजार–भाटापारा
Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

Additional District Magistrate ★ Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

पृ. कमांक / 733 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2021 बलौदाबाजार, दिनांक 07.04.2021

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार –भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार–भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. तहसीलदार / कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत(समस्त) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य नगर पालिका / पंचायत अधिकारी, (समस्त) बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व थाना प्रभारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7/4/21

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Additional District Magistrate
Baloda Bazar Bhatapara (C.G.)